प्रकाशन का 42 वां वर्ष

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

ई – पेपर

www.facebook.com/shailshamachar

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

वर्ष 42 अंक – 46 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पजींकरण एच. पी./93/एस एम एल Valid upto 31-12-17 सोमवार 20 – 27 नवम्बर 2017 मूल्य पांच रूपए

प्रदेश सरकार 38 वर्षों में नही बना पायी स्थायी DEVELOPMENT PLAN

- 1979 में जारी हुई थी अन्तरिम प्लान
- अन्तरिम प्लान में हो चुके हैं 18 संशोधन
- प्रदेश का 97.42% क्षेत्र है लैण्ड स्लाईड के दायरे में
- अवैध निमार्णों को नियमित करने के 5143 आवेदन हैं सरकार के पास लंबित
- नौ बार आ चुकी हैं रिटैन्शन पालिसियां

एन जी टी के फैसले से उठा बड़ा सवाल

शिमला/शैल। भारत सरकार की एक रिपोर्ट के मुताबिक हिमाचल प्रदेश का 97.42 % भौगेलिक क्षेत्र लैण्डस्लाइज़ के जोन में है। प्रदेश के राजस्व विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश में flash floods, Cloud burst और land slides से 2016 के मानसून में 863.97 करोड़ का नुकसान हो चुका है। इनमें 40 लोगों की जान का और 2283 करोड़ का स्ट्रक्चरल नुकसान हो चुका है। 2017 में किन्नौर में भूसखलन के 5, प्लैश फ्लड और बादल फटने के तीन, चटटाने गिरने के तीन हादसे हो चुके हैं। जिनमें 5 लोगों की मौत हुई है। 31 अगस्त 2017 तक मण्डी में लैण्ड स्लाईड के 48 मामले घट चुके हैं। शिमला में लैण्ड स्लाईड के 4 भवन गिरने के 2, बादल फटने के 2 और भूकंप का 1 मामला घटा है। कुल्लु में लैण्ड स्लाईड के 5 भूकम्प का 1 और फ्लैश फ्लड के 34 हादसे हुए हैं। बिलासपुर में लैण्ड स्लाईड के 4 और फ्लैश फ्लड का 1 मामला घटा है। सोलन के बद्दी नालागढ़ और कण्डाघाट में 2016 और 2017 में लैण्ड स्लाईड के 31 हादसे हो चुके हैं। सरकार के अपने इन आंकड़ो से अनुमान लगाया जा सकता है कि आने वाले समय में यह आपदा कितनी भयानक हो सकती है। मण्डी के कोटरूपी हादसे में 50 लोगों की तो जान ही जा चुकी है। इस परिदृश्य में यह चिन्ता और चिन्तन का एक गंभीर मामला बनकर सामने हैं। लेकिन क्या शासन और प्रशासन इस बारे में ईमानदारी से गंभीर है? यह सवाल एनजीटी द्वारा 16 नवम्बर को दिये फैंसले के बाद हरेक जुबान पर है। बल्कि इस फैंसले का विरोध करने के लिये शिमला में करीब 100 भवन मालिकों ने एक बैठक करके एक जन कल्याण समिति का गठन तक कर लिया है और एक बड़ा आन्दोलन इस फैसले के खिलाफ खड़ा करने की घोषणा की है।

ऐसे में यह सवाल उठता है कि आखिर एनजीटी को ऐसा फैसला सुनाने की नौबत क्यों आई? सरकार की ओर से इस संद्धर्भ में कहां और क्या – क्या चूक हुई है। स्मरणीय है कि हिमाचल प्रदेश में नगर एवम् ग्राम नियोजन अधिनियम 1977 में पारित हो गया था और इस एक्ट की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिये टीसीपी विभाग की स्थापना कर दी गयी थी। निदेशक टीसीपी को इस एक्ट के तहत न्यायिक शक्तियां तक हासिल हैं। इस एक्ट का उद्देश्य पूरे प्रदेश के शहरी ग्रामीण क्षेत्रों का सुनियोजित विकास सुनिश्चित करना था। इसके लिये एक स्थायी योजना लाई जानी थी। लेकिन विभाग मार्च 1979 में केवल एक अन्तरिम प्लान ही जारी कर पाया। अब तक 18 संशोधन लाये जा चुके हैं। The Development Plan is a document, which can transform the future of a city by impacting its development positively in the years to come depending upon the infrastructural resources existing or which could be augmented. Unfortunately, this did not happen in case of Shimla. This city, famously known as the 'queen of hills' has been surviving on the crutches of Interim Development Plan since 1979. As many as 18 amendments in interim development plan of 1979 have been carried out which shows adhocism, anarchy and arbitrariness in functioning and decision making. Therefore, all successive governments have faulted in their duty of beholding of public trust for short-term gains. जबकि एक्ट की धारा 16 (c) One more aspect which warrants attention is the provision of Section 16(c) of the HP Town and Country Planning Act, 1977. The provisions of this section impose restriction on the change use of land or on carrying out of any development except for agriculture purposes. Sub-section 'c' of Section 16 imposes a restriction on registration of any deed or document of transfer of any sub-division of land by way of sale or otherwise, unless the sub-division of land is duly approved by the Director, subject to the rules framed. यदि इस प्रावधान की अनुपालना सुनिश्चित की गयी होती तो जिस तरह के निमार्ण संजौली मे खड़े हो गये हैं वह खड़े न हो पाते। यही नही टीसीपी के प्रावधानों की अनुपालना सुनिश्चित करने की बजाये सरकार अवैधताओं को नियमित करने के लिये रिटैन्शन पॉलिसियां लाती चली गयी और अब तक नौ पॉलिसियां आ चुकी हैं। बल्कि 2016 में एक अध्यादेश लाकर 1977 के अधिनियम की मूल भावना को ही कमजोर करने का प्रयास किया गया और इस अध्यादेश को तो राज्यपाल की स्वीकृति भी मिल गयी थी। जबकि 11 अगस्त 2000 को सरकार ने एक अधिसूचना जारी करके यह कहा है कि That all private as well as government construction are totally banned within the core area of Shimla planned area permitting only construction on old lines with prior approval of the state Govt. लेकिन इस अधिसूचना के बाद 22 अगस्त 2002, 5 जून 2003, 28 नवम्बर 2011, 13 अगस्त 2015 और 28 जून 2016 को अलग – अलग अधिसूचनाएं जारी करके पूरे एक्ट को ही एक तरह से पंगू बना दिया है। सरकारी नीतियों की इसी अस्थिरता को अन्ततः 2014 में एनजीटी में चुनौती दी गयी। एनजीटी में याचिका आने पर जब अदालत ने इस पर सरकार और उसके संवद्ध अदारों से जवाब तलब किया तब यह सामने आया कि शिमला में 5143 लोगों ने अपने निमार्णो को नियमित किये जाने के लिये आवदेन कर रखा है। इनमें 3342 निमार्णो में तो स्वीकृत प्लान से कुछ हटकर निर्माण किये जाने को नियमित किये जाने के लिये आवेदन किया गया है। लेकिन 180 निमार्ण तो पूरी तरह अवैध हैं जिनमें पहले कोई प्लान स्वीकृति के लिये सौंपा ही नही गया है। बल्कि यह आंकड़ा भी लोगों के अपने आवदेनों पर आधारित है। लेकिन संवद्ध विभागों को अपने तौर पर अवैध निमार्णो की कोई जानकारी ही नही है क्योंकि इन विभागों ने ऐसी कोई स्टडी ही नही करवा रखी है। इस परिदृश्य में यह पूरी तरह स्पष्ट हो गया है कि सरकारों ने अपने राजनीतिक स्वार्थो के चलते पर्यावरण और कालान्तर में आम आदमी को होने वाले नुकसान की ओर कभी कोई ध्यान नही दिया है। ऐसे में क्या सरकार एनजीटी के इस आदेश को उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देने का साहस जुटा पायेगी?

विकास खंड मशोबरा और बसंतपुर में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन

शिमला/शैल। न्यायिक प्रक्रिया के प्रति ग्रामीण जनता को जागरूकता प्रदान करने के उद्देश्य से शिमला जिला के मशोबरा और बसंतपुर विकास खंड के विभिन्न क्षेत्रों में विधिक साक्षरता शिविरों का आयोजन किया गया।

अतिरिक्त जिला सत्र न्यायधीश (सीबीआई) वीरेंद्र ठाकुर ने ग्राम पंचायत ढली में आयोजित शिविर की अध्यक्षता करते हुए मुफ्त कानूनी सहायता संबंधी जानकारी प्रदान की।

उन्होंने बताया कि मुफ्त कानूनी सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र व्यक्ति की समस्त स्त्रोतों की वार्षिक आय एक लाख रुपये तथा वरिष्ठ नागरिकों के लिए वार्षिक आय दो लाख रुपये होनी अनिवार्य है।

उन्होंने कहा कि निर्धन असहाय लोग कानूनी सहायता से वंचित न रह पाएं, इसके लिए मुफ्त कानूनी सहायता का प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि यह सहायता महिलाओं के लिए मुफ्त उपलब्ध करवाई जाती है, जबकि अनुसूचित जाति, जनजाति, नाबालिग बच्चे, मानसिक रूप से बीमार व आपदा पीड़ित लोग इस सहायता के पात्र हैं।

ग्राम पंचायत जनेड़घाट में आयोजित शिविर में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश-2 अपर्णा शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि लोगों में कानूनी साक्षरता व जागरूकता पैदा करना, कानूनी कार्यवाही में सुलह व समझौतों द्वारा फैसला करने के लिए प्रोत्साहित करना तथा शीघ्र व सस्ता न्याय दिलवाना इन शिविरों का मूल उद्देश्य है। उन्होने भी मुफ्त विधिक सहायता के लिए भी पात्र, प्रक्रिया तथा प्रकार पर विस्तृत जानकारी प्रदान की।

यहां अधिवक्ता अमित चौहान ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, सूचना का अधिकार तथा अधिवक्ता सुनील नेगी ने वृद्धजनों व माता-पिता के खर्चे व भरण-पोषण के बारे में जानकारी प्रदान की।

बसंतपुर विकास खंड की ग्राम पंचायत देवला में आयोजित विधिक साक्षरता शिविर में अतिरिक्त जिला सत्र एवं न्यायधीश-1 मदन कुमार ने महिला कानून के अतिरिक्त विभिन्न अन्य अधिनियमों व कानूनों के बारे में विस्तृत जानकारी व जागरूकता ग्रामीण जनता को प्रदान की। शिविर में विशेष सचिव राजस्व व आपदा प्रबंधन डीडी शर्मा ने विभिन्न आपदाओं के समय प्राथमिक सहायता, बचाव व खोज के विभिन्न तरीकों के प्रति जानकारी प्रदान की।

उन्होंने कहा कि नागरिकों का कर्तव्य है कि प्राप्त संसाधनों का सही उपयोग कर बहुमूल्य मानव जीवन को बचाने का प्रयास करें।

सेवा निवृत जिला एवं सत्र न्यायधीश एमडी शर्मा ने भी शिविर में विभिन्न कानूनी पहलुओं पर जागरूकता प्रदान की। अधिवक्ता श्रवण शर्मा व सुनील शर्मा ने भी बहुमूल्य जानकारी प्रदान की।

इन शिविरों में स्थानीय लोगों तथा पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों सहित लगभग 350 लोगों ने जानकारी प्राप्त की। ढली पंचायत के प्रधान जीत सिंह कंवर, जनेड़घाट की प्रधान सुषमा रावत तथा देवला पंचायत के प्रधान राकेश कुमार ने स्वागत किया तथा ग्रामीण जनता से शिविर के दौरान प्रदान की गई बहुमूल्य जानकारी को अन्य लोगों तक पहुंचाने की अपील भी की।

शिविर में नाजर दिनेश शर्मा, प्रवेश शर्मा व सुरेश चौहान भी उपस्थित थे।

न्यायिक शक्तियों का समुचित उपयोग करें पंचायतें: सोनल

शिमला/शैल। ग्राम पंचायतों को स्थानीय विवादों का निपटारा करने के लिए अधिनियम में पर्याप्त शक्तियां प्रदान की गई है और पंचायतों को जनहित में इनका प्रयोग करना चाहिए जिससे जहां एक ओर बहुत से विवादों का निपटारा होगा वहीं लोग अनावश्यक रूप से न्यायालय में जाने से बचेंगे। यह बात शिमला न्यायालय न. 6 की सिविल जज सोनल थामा ने समरहिल के समीप सांगटी में आयोजित विधिक साक्षरता शिविर की अध्यक्षता करते हुए कही।

उन्होंने कहा कि अक्सर ग्राम पंचायतें स्थानीय कारणों से न्यायिक शक्तियों का उपयोग करने में संकोच करती हैं जिससे छोटे-मोटे स्थानीय विवादों का निपटारा नहीं हो पाता।

महिलाओं के विरूद्ध घरेलू हिंसा नियंत्रण अधिनियम पर सिविल जज ने कहा कि यहां तक कि महिलाओं से ऊंची आवाज में बात करना भी हिंसा की श्रेणी में आता है। घरों में महिलाओं के साथ हो रही हिंसा की शिकायत वह सादे कागज पर पुलिस, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अथवा सीधे तौर पर न्यायालय में प्रस्तुत कर सकती है जिसका निपटारा 45 से 60 दिनों के भीतर किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि साक्षर समाज में घरेलू हिंसा को कोई जगह नहीं होनी चाहिए और ऐसा होने पर अधिनियम में कठोर सजा का प्रावधान है।

सूचना का अधिकार अधिनियम पर चर्चा करते हुए सोनल थामा ने कहा कि यह एक क्रांतिकारी अधिनियम है जिसके तहत आम आदमी सरकारी कार्यालयों, उपक्रमों से सादे कागज पर आवेदन कर सूचना प्राप्त कर सकता है। यह सूचना 30 दिनों के भीतर उपलब्ध करवाई जानी चाहिए और ऐसा न होने पर व्यक्ति मुख्य सूचना आयुक्त के कार्यालय में इसके विरूद्ध अपील कर सकता है।

उन्होंने कहा कि विधिक सेवा प्राधिकरण ने पात्र लोगों, अनुसूचित जाति, जनजाति लोगों और महिलाओं को निशुल्क न्याय उपलब्ध करवाने की सुविधा प्रदान की है जिसके तहत इस वर्ग का कोई भी व्यक्ति न्याय प्राप्त करने के लिए न्यायालय को सादे कागज पर आवेदन कर सकता है और उसके प्राधिकरण द्वारा उसके मुकद्मे की निशुल्क पैरवी की जाती है।

इससे पूर्व ग्राम पंचायत नेरी के प्रधान देवेन्द्र ठाकुर ने सोनल थामा का स्वागत किया तथा कहा कि इस प्रकार के शिविर ग्रामीण लोगों को अनेक प्रकार की जानकारी उपलब्ध करवाते हैं तथा समय-समय पर ऐसे शिविरों का आयोजन किया जाना चाहिए।

शिविर में लगभग 60 लोगों ने भाग लिया।

नौणी विश्वविद्यालय के छात्रों और संकाय ने जीते पुरस्कार

शिमला/शैल। डॉ यशवंत सिंह परमार औद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय, नौणी के छात्रों और वैज्ञानिकों ने अपनी प्रतिभा से देश के विभिन्न शहरों में आयोजित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में कई पुरस्कार अपने नाम किए हैं।

हाल ही में शिमला में हिमाचल प्रदेश काउंसिल फॉर साइंस, टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट (HIMCOSTE) द्वारा आयोजित हिमाचल प्रदेश साइन्स कॉंग्रेस में नौणी विवि के पुष्प एवं स्थल वास्तुकला विभाग की संकाय डॉ भारती कश्यप ने ओरल प्रेजेंटेशन में इनोवेशन थीम में प्रथम स्थान हासिल किया। उन्होनें हिमाचल के जंगली फूलों को सुखाकर उनका मूल्यवर्धन के लिए उपयोग विषय पर अपने शोध कार्य जिसमें उनके विभाग के डॉ वाईसी गुप्ता और मीनाक्षी शर्मा भी शामिल हैं, को प्रस्तुत किया।

जैव प्रौद्योगिकी विभाग की डॉ निवेदिता शर्मा और विजय कुमार को भी इसी कॉन्फ्रेंस में मध्य पहाड़ी क्षेत्र में बीज अंकुरण और गेहूं पर उनके द्वारा किए शोध कार्य के लिए सर्वश्रेष्ठ पोस्टर पुरस्कार मिला। पर्यावरण विज्ञान विभाग के दो पूर्व छात्रों को भी विश्वविद्यालय में किए गए अनुसंधान कार्य के लिए साइन्स कॉंग्रेस में पुरस्कार मिला। जहां विश्वविद्यालय से पीएचडी कर चुके डा. हुकम चंद ने हिमाचल प्रदेश में सेब की फसल पर जलवायु परिवर्तन, शमन और प्रभाव पर किए गए काम के लिए सर्वश्रेष्ठ पोस्टर पुरस्कार जीता। वहीं प्रियंका शर्मा ने सोलन जिले में फूलगोभी की खेती में कीट पर मौसम संबंधी मापदंडों का प्रभाव पर ओरल प्रस्तुति दी और पहला पुरस्कार हासिल किया।

इसके अलावा पादप रोग विज्ञान विभाग के पीएचडी छात्र गुरविंदर सिंह ने जम्मू में आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी और भारतीय फाइट टैथोलॉजिकल सोसायटी (नॉर्थ जोन) मीट-2017 में नरसिमहान पुरस्कार जीता। वहीं जयपुर में जैव संसाधन और तनाव प्रबंधन पर आयोजित तीसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में फूड सांइन्स और टेक्नालजी विभाग की वैज्ञानिक डॉ मनीषा कौशल को सर्वश्रेष्ठ ओरल प्रेजेंटेशन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। डा. मनीषा ने अदरक पर आधारित कन्फेक्शनरी उत्पादों के विकास के लिए तैयार किए जाने वाले मानकीकरण पर अनुसंधान कार्य प्रस्तुत किया। उनके इस शोध कार्य में डा. देवीना वैद्य, आरती, रंजन खौशिक, अनिल गुप्ता और अनिल वर्मा शामिल हैं।

इस मौके पर नौणी विवि के कुलपति डॉ एच सी शर्मा और दोनों कॉलेज के डीन ने सभी विजेताओं को बधाई दी।

विश्व मधुमेह दिवस पर एक जागरूकता कार्यक्रम

शिमला/शैल। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नवगांव में विश्व मधुमेह दिवस पर एक जागरूकता कार्यक्म आयोजित किया गया। इस अवसर पर बीएमओ अर्की डॉ. तारा चंद नेगी ने उपस्थित लोगों को मधुमेह के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मधुमेह एक असंक्रामक रोग है। उन्होंने मधुमेह से होने वाले दुष्प्रभावों पर जानकारी देते हुए बताया कि इससे आंखों, हृदय, मस्तिष्क तथा गुर्दे आदि पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अधिक रूप से मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति की आंखों की रोशनी जा सकती है। हृदयघात तथा गुर्दे खराब होना भी मधुमेह का ही कारण हो सकता है। बीमारी से मृत्यु के सबसे बड़े नौ कारणों में से मधुमेह का नौवां स्थान है। तथा मधुमेह में हो रही वृद्धि के चलते इसके सातवें नंबर पर आने का अनुमान है। उन्होंने लोगों को मधुमेह के लक्षणों के प्रति जागरूक करते हुए बताया कि वजन घटना, भूख व प्यास सामान्य से अधिक लगना, बार-बार पेशाब आना आंखों से कम दिखाई देना मधुमेह के लक्षण हो सकते हैं। ऐसा होने पर शीघ्र ही नजदीक के स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सक से परामर्श लेकर जांच करवानी चाहिए। डा. नेगी ने बताया कि गर्भावस्था में होने वाली मधुमेह महिला व पुरुष दोनों को हानिकारक हो सकती है। यदि समय पर इसका निदान न किया जाए तो यह दोनों के लिए घातक हो सकती है। इतना ही नहीं प्रसव के 5 से 10 वर्षों में मां को टाईप -2 मधुमेह हो सकती है तथा होने वाले बच्चों को लाईलाज मधुमेह हो सकता है। इसके नियंत्रण के लिए संतुलित आहार, शारीरिक व्यायाम, तंबाकू व तंबाकू उत्पादों से परहेज, शरीर के वजन को सामान्य रखना तथा गर्भावस्था में शूगर की नियमित जांच करवाना अति आवश्यक है। इस अवसर पर डा. प्रिया नेगी, स्वास्थ्य पर्यवेक्षिका रेखा शर्मा, उमा शुक्ला, पंचायत प्रधान सुनंदा गौतम सहित अन्य आंगनबाड़ी व आशा कार्यकर्ता मौजूद थे।

शैल समाचार संपादक मण्डल

संपादक- बलदेव शर्मा
संयुक्त संपादक- जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार- ऋचा
अन्य सहयोगी
भारती शर्मा
रजनीश शर्मा
राजेश ठाकुर
सुदर्शन अवस्थी
सुरेन्द्र ठाकुर
रीना

नौणी विवि में महिलाओं के कानूनी अधिकारों पर प्रतिस्पर्धा का आयोजन

शिमला/शैल। डॉ यशवंत सिंह परमार औद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय, नौणी में महिलाओं के कानूनी अधिकारों के बारे में जागरूकता लाने के लिए छात्रों के बीच एक

प्रतिस्पर्धा का आयोजन किया गया। यह प्रतियोगिता राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रायोजित की गई थी।

यह प्रतियोगिता, महिला आयोग की राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम का एक हिस्सा है। इस कार्यक्रम के माध्यम से महिलाओं के कानूनी अधिकारों के बारे में जागरूकता लाना और यह सुनिश्चित करना है की समाज के सभी वर्ग कानून के साथ पूरी तरह से परिचित हैं और उनके सफल कार्यान्वयन के लिए प्रभावी ढंग से योगदान कर सकें।

इस मौके पर विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों के 50 से अधिक छात्रों ने प्रतियोगिता में भाग लिया। यह प्रतियोगिता, महिला आयोग द्वारा कानूनी जागरूकता कार्यक्रम के लिए तैयार किए गए मॉडयूल पर आधारित थी।

भारत के संविधान के अंतर्गत महिलाओं को प्रदान किए गए अधिकारों और कृत्यों से संबंधित मुद्दों पर प्रतिभागियों के ज्ञान का परीक्षण किया गया। प्रतियोगिता के विजेताओं को महिला आयोग द्वारा प्रायोजित नकद पुरस्कार भी दिए गए। इस अवसर पर छात्र कल्याण अधिकारी डॉ. राकेश गुप्ता ने छात्रों को संबोधित किया और पुरस्कार वितरित किए। महेश्वर सिंह को 2,000 रुपये का पहला नकद पुरस्कार मिला। शैली दूसरे स्थान पर रही और उन्हें 1,500 रुपये का पुरस्कार दिया गया। तीसरे स्थान के लिए 1,000 रुपये के पाँच पुरस्कार दिये गए जिसमें अवनी ठाकुर, अपरिजिता, अनमोल, शिल्पा और अपूर्व ने बाजी मारी।

प्रधानमंत्री ने की "मन की बात" में भोरंज के किसानों की तारीफ

शिमला/शैल। भाजपा के मुख्यमंत्री पद उम्मीदवार और पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल और हमीरपुर सांसद अनुराग ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मन की बात में भोरंज के किसानों द्वारा कृषि के क्षेत्र में जरूरी बदलाव कर उत्पादन और आय में आशातीत वृद्धि के लिए सराहना करने पर किसानों को बधाई दी और इसे हिमाचल को गौरवान्वित होने का अवसर बताया। प्रेम कुमार धूमल ने कहा 'मन की बात कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भोरंज के किसानों की सराहना सुनना बहुत ही सुखदायी था। इस से किसानों का मनोबल बढ़ेगा और वो नए प्रयोगों द्वारा कृषि क्षेत्र में नए सुधारों के जरिए अपना और हिमाचल का विकास करने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध होंगे। किसानों के इन प्रयासों को आने वाली हिमाचल की भाजपा सरकार से पूरा सहयोग मिलेगा। प्रधानमंत्री द्वारा किसानों की तारीफ कर उनका हौसला बढ़ाना एक सराहनीय कदम है और इसके लिए मैं उनका आभारी हूँ।

अनुराग ठाकुर ने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के दौरान भोरंज के किसानों की तारीफ करना पूरे हिमाचल के लिए गौरव की बात है। भोरंज के किसानों ने अपनी मेहनत और सूझबूझ से कृषि कार्यो में जरूरी बदलाव कर अपनी आय और उत्पादन में बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही कृषि को योजनाओं को अपना कर और उस से लाभ पा कर एक मिशाल पेश की है। जिसके चलते पूरे देश के किसानों में एक सकारात्मक संदेश गया है, इसके लिए मैं अपने किसान भाइयों का बधाई देता हूँ और हिमाचल के किसानों के प्रति प्रधानमंत्री के अपार स्नेह के लिए मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ।

बर्फबारी से निपटने के लिए जिला प्रशासन की विभिन्न विभागों के साथ बैठक

शिमला/शैल। जिले में सर्दी के मौसम में होने वाली बर्फबारी से उत्पन्न होने वाली समस्याओं से निपटने के लिए जिला प्रशासन द्वारा किए जाने वाले प्रबंधों के बारे में विभिन्न विभागों के साथ बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता उपायुक्त शिमला रोहन चंद ठाकुर ने की।

रोहन चंद ठाकुर ने कहा कि बर्फबारी के दौरान सार्वजनिक परिवहन को व्यवस्थित बनाए रखने के लिए व्यापक प्रबंध किए जाएंगें। उन्होंने लोक निर्माण विभाग को रामपुर – रोहडू, हरीपुरधार – कुपवी, झिकनीपुल चौपाल सड़कों पर यातायात को बर्फबारी में बहाल रखने को कहा।

उन्होंने कहा कि लोक निर्माण विभाग द्वारा कुफरी से फागू, नारकंडा, खड़ा पत्थर, जुब्बल, चौपाल में ट्रबल स्पॉट चिन्हित किए गए हैं। उन्होंने इन सड़कों पर अधिक बर्फबारी होने के कारण सार्वजनिक यातायात अन्य सम्पर्क मार्गो से बहाल करने के लिए भी प्रयास किए जाएंगें।

उन्होंने कहा कि शिमला शहर में कैंसर अस्पताल, आई.जी.एम.सी, के.एन.एच. तथा अन्य ऐसी सम्पर्क सड़कों पर जहां लम्बे समय तक बर्फ जमने की सम्भावना बनी रहती है, उन सड़कों पर नमक फैलाकर बर्फ को जमने से रोकने का प्रयास किया जाएगा। अस्पतालों में विद्युत आपूर्ति को सुचारू रखने के लिए डीजल का समय रहते भंडारण करने बारे सम्बन्धित विभाग को आवश्यक दिशा – निर्देश दिए।

उन्होंने सम्बन्धित विभागों को जिला के दूर – दराज क्षेत्रों में खाद्यान्नों, गैस व विद्युत की आपूर्ति बनाए रखने के व्यापक प्रबंध करने को कहा। नगर निगम शिमला द्वारा शहर में सड़कों व अन्य मार्गो में यातायात को सुचारू रखने, पानी, बिजली की आपूर्ति, सुनिश्चित बनाए रखने के लिए आवश्यक प्रबंध करने को कहा।

उन्होंने वन विभाग के अधिकारियों को बर्फबारी के दौरान सड़क में गिरने वाले पेड़ों को तुरंत हटाने की समुचित व्यवस्था करने को कहा ताकि अन्य किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न न हो।

उन्होंने कहा कि विभिन्न राज्यों से आने वाले पर्यटक किन किन बातों का बर्फबारी में ध्यान रखें, इस बारे में अग्रिम जानकारी दी जानी चाहिए। इस सम्बन्ध में उपायुक्त के माध्यम से पड़ोसी राज्यों चंडीगढ, पंजाब, हरियाणा के उपायुक्तों को पत्र लिखकर बर्फबारी की संभावित आपदा की स्थिति में एडवाईजरी जारी करने का आग्रह किया गया है।

इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त राकेश कुमार प्रजापति, नगर निगम आयुक्त जी.सी.नेगी, अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी, हेमिस नेगी तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारी व विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

पीटरहॉफ में लगाई गई पर्यावरण प्रदर्शनी

शिमला/शैल। कुफरी स्थित 133वीं इकोलॉजिकल टास्क फोर्स

(ईटीएफ) द्वारा शिमला स्थित पीटरहॉफ में आयोजित द्वितीय हिमाचल प्रदेश विज्ञान कांग्रेस के दौरान 'ग्रीन हिमाचल वीर हिमाचली' मिशन के अन्तर्गत एक पर्यावरण – प्रदर्शनी की स्थापना की गई। कर्नल नागियाल ने बताया कि इस अवसर पर ईटीएफ के अधिकारियों द्वारा समूची ईको – इकाई सहित हिमालयी क्षेत्र में और अधिक पेड़ लगाने के सन्देश के साथ चलाए जा रहे पौधारोपण अभियान के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी दी गई।

रक्षा मंत्रालय के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार तथा वर्तमान में नीति आयोग के सदस्य व डी.आर.डी.ओ. के पूर्व महानिदेशक पदमभूषण डा. वी.के. सारस्वत ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया और सभी प्रतिष्ठित प्रतिभागियों के साथ अपने विचार सांझा किये।

नौणी विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक को अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार

शिमला/शैल। डॉ यशवंत सिंह परमार औद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय, नौणी के कीटविज्ञान और मधुमक्खी पालन विभाग के वैज्ञानिक, डा. राज कुमार ठाकुर को अंतरराष्ट्रीय

सम्मान से नवाजा गया है। डा. ठाकुर को चेन्नई में आयोजित वीनस इंटरनेशनल रिसर्च अवार्ड्स में 'मधुमक्खी पालन में प्रतिष्ठित वैज्ञानिक' के पुरस्कार से नवाजा गया है।

डा. राज कुमार ठाकुर, ऐपिकल्चर (मधुमक्खी पालन) के क्षेत्र के एक प्रसिद्ध विशेषज्ञ हैं। वर्तमान में वह नौणी विवि के विस्तार शिक्षा निदेशालय में सयुंक्त निदेशक (संचार) के रूप में कार्यरत हैं।

नौणी विवि से अपनी पीएचडी डिग्री करने के बाद डा. ठाकुर ने जर्मनी के बर्लिन शहर स्थित हंबोल्ड यूनिवर्सिटी से अपनी पोस्ट डॉक्टरेट पूरी की। उन्होंने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के एआईसीआरपी (मधुमक्खियों और पोलिनेटर) में परियोजना समन्वयक के रूप में भी कार्य किया है। इस कार्यक्रम में उन्होनें अनुसंधान के लिए 26 एआईसीआरपी केंद्रों को नेतृत्व प्रदान किया और देश के विभिन्न राज्यों में मधुमक्खी पर आदिवासी उप – योजना के प्रशिक्षण की व्यवस्था की।

नौणी विवि के कुलपति डा. एचसी शर्मा और अन्य संकाय ने इस मौके पर डा. ठाकुर को बधाई दी।

वीनस इंटरनेशनल रिसर्च अवार्ड्स की शुरुआत 2015 में वीनस इंटरनेशनल फाउंडेशन के सेंटर फॉर एडवांस्ड रिसर्च एंड डिजाईन (सीएडीआर) ने की थी ताकि कृषि, इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंस, मैनेजमेंट, मानविकी और सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले विशेषज्ञों को सम्मानित किया जा सके। इस पुरस्कार के साथ एक प्रमाण पत्र, कांस्य पदक और स्मृति चिन्ह है।

नेचर गाईड प्रशिक्षण कार्यक्रम का सफलतापूर्वक समापन

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश ईको – टूरिज़म सोसाईटी वन विभाग हिमाचल प्रदेश ने ईको – टूरिज़म में स्वरोज़गार के लिए प्रदेश के विभिन्न स्थानों से आए प्रशिक्षार्थियों को प्रमाण पत्र सहित नेचर गाईड का प्रशिक्षण

राज्य कृषि प्रबन्धन व प्रसार प्रशिक्षण संस्थान कैगनैनों, मशोबरा में दिया।

नेचर गाईड प्रशिक्षण के समापन समारोह में डॉ. जी. एस. गोराया, प्रधान मुख्य अरण्यपाल वन विभाग हिमाचल प्रदेश ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। उन्होंने प्रशिक्षर्थियों को सम्बोधित करते हुए बताया कि हिमाचल प्रदेश में ईको – टूरिज़म की अपार सम्भावनाएं हैं। प्रकृति व पर्यावरण संरक्षण में नेचर गाईड अहम भूमिका निभा सकता है। नेचर गाईड पर्यटकों को वनों द्वारा लकड़ी के अतिरिक्त दी जाने वाली अन्य प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष सेवाओं के प्रति जागरूक करके लोगों को प्रकृति से जोड़ने का कार्य कर सकते हैं। प्रकृति को व इसकी संरचना को लोक गाथाओं व कहानियों के रूप में पर्यटकों को प्रस्तुत करके लोगों को प्यार्वरण संरक्षण में सहयोग करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं।

डॉ. जी. आर. साहिबी, अतिरिक्त प्रधान मुख्य अरण्यपाल एवं सी. ई. ओ. ईको – टूरिज़म ने प्रशिक्षण के निष्कर्ष को प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि एक सप्ताह से अधिक लम्बे इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान विभिन्न विभागों के अनुभवी संकाय द्वारा ईको – टूरिज़म के विभिन्न पहलूओं पर चर्चा की गई। प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षार्थियों को बर्डिंग, प्राथमिक चिकित्सा आदि का भी प्रशिक्षण दिया गया। उन्होंने बताया कि इस प्रशिक्षण से प्रशिक्षार्थी स्वरोज़गार के अवसर तलाश सकता है।

डॉ. एन. के. बदान, निदेशक राज्य कृषि प्रबन्धन व प्रसार प्रशिक्षण संस्थान ने नेचर गाईड प्रशिक्षण के सफलता पूर्वक संचालन व समापन के लिए वन विभाग व राज्य कृषि प्रबन्धन व प्रसार प्रशिक्षण संस्थान के अधिकारियों को धन्यवाद किया।

समापन समारोह के दौरान ए. सी. शर्मा, प्रधान मुख्य अरण्यपाल (वित्त), डॉ. सरोज वर्मा, सहायक अरण्यपाल प्रचार एवं ईको – टूरिज़म, डी. डी. शर्मा, ट्रेनिंग अधिकारी भी उपस्थित थे।

बिना उपाय के किए गए कार्य प्रयत्न करने पर भी बचाए नहीं जा सकते, नष्ट हो जाते है। .....चाणक्य

सम्पादकीय

अर्थव्यवस्था पर उठते सवाल

देश के आम आदमी के मन में इस समय जितने सवाल उठ रहे हैं इतने शायद इससे पहले कभी नहीं उठे। वो समझ ही नहीं पा रहा है कि किस पर यकीन करे, विपक्ष के ब्यानों पर या फिर विदेशी रिपोर्टों पर। परिणामस्वरूप अखबारों की रोज बदलती सुर्खियों के साथ ही देश के राजनैतिक पटल पर भी हालात तेजी से बदल रहे हैं और देशवासी हैरान परेशान। वैसे भी इस समय दो राज्यों में चुनावों के चलते देश की राजनीति दिलचस्प दौर से गुजर रही है खासकर तब जब उनमें से एक राज्य प्रधानमंत्री का गृहराज्य हो।

हिमाचल में जनता अपना फैसला ले चुकी है गुजरात में परीक्षा अभी बाकी है। कहा जा रहा है कि इन राज्यों के चुनावी नतीजे, खास कर गुजरात के, आगामी लोकसभा चुनावों के दिशा निर्देश तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। ऐसा कुछ समय पहले इसी साल फरवरी में होने वाले यूपी चुनावों के समय भी कहा गया था। तब नोटबंदी से उपजे हालातों के मद्देनजर विशेषज्ञों की नजर में भाजपा की राह कठिन थी लेकिन उसने 404 सीटों की संख्या वाली विधानसभा में 300 का आंकड़ा पार करके अपने विरोधियों ही नहीं तमाम चुनावी पंडितों को भी चौंका दिया था। इस जीत के बाद कहा जाने लगा था कि 2019 में मोदी के विजयी रथ को रोक पाना अब किसी के भी लिए आसान नहीं होने वाला है। लेकिन समय ने करवट ली। मार्च में यूपी के भगवाकरण के बाद जब लगने लगा था कि यह केसरिया बयार अब पूरे देश पर छा जाने को बेकरार है, उसी दौरान जुलाई में जीएसटी लागू हुआ और राजनैतिक समीकरण एक बार फिर बदलने लगे।

पूरे देश में गिरती अर्थव्यवस्था और घटती जीडीपी की बातें होने लगीं। सरकार लगातार विपक्ष के निशाने पर आती गई और अखबार व्यापार जगत में गिरती मांग से पैदा होने वाले गिरावट के आंकड़ों को पेश करते विपक्ष के बयानों से भरे जाने लगे। इतना ही नहीं अटल बिहारी जी की सरकार में मंत्री रह चुके यशवंत सिन्हा के 27 सितम्बर को एक अंग्रेजी अखबार में लिखे लेख ने तो मोदी सरकार को उनकी आर्थिक नीतियों पर ऐसा घेरा कि देश में राजनैतिक भूचाल की ही स्थिति उत्पन्न हो गई थी। ऐसे लगने लगा था कि देश और देशवासी शायद आजाद भारत के इतिहास में आपातकाल के बाद के सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं क्योंकि देश आक्रोश से भरा है और लोगों में असंतोष अपने चरम पर है।

ऐसी परिस्थिति में जब देश कथित तौर पर चारों ओर निराशा से घिरा था, 31 अक्तूबर को विश्व बैंक की ओर से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रिपोर्ट आई। इसके अनुसार व्यापार में सुगमता के लिहाज से भारत सुधार करते हुए 30 पायदानों की छलांग लगाकर पहली बार 100 वें पायदान पर पहुँचा। विदेशी ठप्पा लगते ही देश की अर्थव्यवस्था को पंख लग गए, गिरती जीडीपी बढ़ने लगी, शेयर मार्केट में उछाल आने लगा, और लोगों का असंतोष खुशहाली में बदलने लगा। लेकिन पिक्चर अभी बाकी थी। अगले ही महीने 17 नवंबर को अन्तराष्ट्रीय रेटिंग एजेन्सी मूडीस ने भी भारत की रैंकिंग में सुधार कर उसे एक तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बताया। मूडीस की इस रिपोर्ट की सबसे खास बात यह रही कि नोटबंदी और जीएसटी जैसे जिन कदमों को भारतीय आर्थिक विशलेषक आत्मघाती बता रहे थे उन्हें यह अन्तराष्ट्रीय संस्था दूरगामी प्रभावों वाले ठोस सकारात्मक कदम बता रही थी। इन अन्तर्राष्ट्रीय रिपोर्टों से देश के राजनैतिक हालात एक बार फिर तेजी से बदलने लगे।

लेकिन विराधी कहाँ मानने वाले थे? वे कहने लगे कि विश्व बैंक की रिपोर्ट खरीदी हुई है और गुजरात चुनाव के समय में मूडीज की रिपोर्ट का बीजेपी के लिए स्टार चुनावी प्रचारक बनकर आना महज कोई संयोग नहीं है। तो फिर इसे क्या कहियेगा जब अभी हाल ही में एक कार्यक्रम में चीन के भारतीय राजदूत ल्यू ज्याओहुई ने (डोकलाम में भारतीय कूटनीति के आगे घुटने टेकने के बावजूद) यह कहा कि वह जो पाक के साथ मिलकर अपना महत्वपूर्ण आर्थिक कारीडोर सीपेक बना रहा है उसका रास्ता वो पीओके के बजाय नेपाल नाथूला और भारत के जम्मू कश्मीर से भी बना सकते हैं यहाँ तक कि चीन अपनी इस महत्वाकांक्षी योजना का नाम भी बदलने की सोच सकता है। वह भी तब जब अमेरिकी विशेषज्ञ इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि मोदी समूचे विश्व में चीन के विरोध में खड़े होने एकमात्र नेता हैं।

लेकिन अब मूडीज़ के 'पूअरज एण्ड स्टैण्डर्ज' की रिपोर्ट आ गयी है इस रिपोर्ट में भारत के जीडीपी के बढ़ते दर देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत और स्थिर करार दिया गया है। लेकिन जीडीपी के बढ़ने के साथ ही सरकार के बढ़ते कर्ज और प्रति व्यक्ति आय में आ रही कमी को भी एक गंभीर चिन्ता और चिन्तन की विषय माना गया है। भारत सरकार ने 'पूअरज़ और स्टैण्डर्ज' की रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया व्यक्त नही की है। लेकिन इस रिपोर्ट के आने के बाद मूडीज़ की रिपोर्ट से जो सरकार के लिये अपनी पीठ थपथपाने का एक मौका मिला था उस पर अचानक एक प्रश्नचिन्ह लग गया है। आज देश का हर राज्य कर्ज में डुबा हुआ है और यह कर्ज एफआरवीएम में तय मानको से कहीं अधिक हो चुका है। इसी के साथ यह एक स्वभाविक चिन्ता का विषय है कि जब जीडीपी बढ़ रहा है तो फिर प्रति व्यक्ति आय क्यों कम हो रही है क्या कहीं यह दौलत कुछ गिने-चुने लोगों के पास जमा होकर तो नही रह रही है।

इस स्थिति पर देश के सत्तापक्ष और विपक्ष को राजनीति से ऊपर उठकर ईमानदारी और गंभीरता से संसद के भीतर विचार करना होगा। क्योंकि आज दोनों ही अर्न्राष्ट्रीय ऐजैन्सीयों के अलग-अलग आंकलन में इतना अन्त विरोध होना अपने में ही एक अलग सवाल खड़ा कर देता है।

प्रेस को अनुशासन की जरूरत नहीं

कुलदीप नैय्यर

सच है कि मीडिया ने एक लंबा सफर तय किया है। फिर भी, प्रेस कौंसिल ऑफ इंडिया की वर्तमान वार्षिक रिपोर्ट टेलीविजन चैनल को अपने अधिकार क्षेत्र में लाने की मांग असहाय होकर कर रही है...

सच है कि मीडिया ने एक लंबा सफर तय किया है। फिर भी, प्रेस कौंसिल ऑफ इंडिया की वर्तमान वार्षिक रिपोर्ट टेलीविजन चैनल को अपने अधिकार क्षेत्र में लाने की मांग असहाय होकर कर रही है। जो कहा जा रहा है उसे सत्ताधारी सुन नहीं रहे हैं। कौंसिल का कहना है, कुछ समय से पत्रकारिता के पेशे में दाखिल होने के लिए योग्यता का सवाल उठ रहा है। मीडिया एक पूरी तरह विकसित क्षेत्र हो गया है और लोगों की जिंदगी पर इसका कुछ असर है, यह समय आ गया है कि कानून के जरिए कुछ योग्यता तय की जाए। मैं इससे सहमत नहीं हूं कि कोई रिमोर्ट कंट्रोल हो।

कई संघर्ष के बाद प्रेस अपनी आजादी मजबूत कर पाई है। और, आज यह सरकारी दबाव से आमतौर पर मुक्त है। फिर भी कुछ और शक्तियां हैं जो इसे पूरी स्वतंत्र होने नहीं देती। लेकिन दुनिया के बाकी सभी लोकतंत्रों की तरह भारतीय प्रेस को स्वतंत्र माना जाता है।

इलेक्ट्रानिक मीडिया काफी हद तक रीयल इस्टेट मालिकों की दया पर है जो प्रापर्टी के लेन-देन से पैसा कमाते हैं और इसे एक या दो चैनल चलाने के लिए खर्च करते हैं। हालांकि, अखबारों के बारे में निश्चित रूप से यह नहीं कहा जा सकता है।

जब फिल्मों की बात आती है तो सरकार का दबाव बेरोकटोक और दिखाई देने वाला है। हर एक फिल्म को सेंसर का प्रमाण-पत्र चाहिए। जब संविधान ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी दी है तो यह सबके लिए है, सभी माध्यमों तथा सभी तरीकों के लिए। सेंसर प्रमाण-पत्र की आवश्यकता स्वतंत्रता का हनन करती है।

यह मेरी समझ से परे है कि फिल्म निर्माताओं ने कभी इसे मुद्दा नहीं बनाया। अभी भी ऐसा करने के लिए बहुत देर नहीं हुई है। संजय लीला भंसाली की फिल्म उनके इक होने का आधार नहीं बन सकती। फिल्म निर्देशक भंसाली ने नतीजों का सामना करना पसंद किया है। राजस्थान में, जहां वह फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, उन पर हमला हुआ। इसके बावजूद वह अपनी जगह डटे हैं।

राजस्थान के कट्टरपंथी हिंदू, जिन्होंने अपने को करणी ब्रिगेड के रूप में संगठित कर लिया है, ने राजस्थान के एक सिनेमाहाल की कुर्सियां तोड़ डालीं और उनमें आग लगा दी। ज्यादातर उदारवादी लोगों की खामोशी दिखाई दे रही है। भंसाली अवश्य अकेला महसूस कर रहे होंगे। यहां यह मुद्दा नहीं है कि उनकी फिल्म पद्मावती, जिसका उन्होंने निर्देशन किया है, कहानी पर आधारित है या वास्तविकता पर। उसे पर्दे पर लाने का उनका संकल्प है। अपने संकल्प के लिए उन्हें पूरा श्रेय मिलना चाहिए।

बहुत कम फिल्म निर्देशक उनके पद-चिह्नों पर चलेंगे क्योंकि ढेर सारा पैसा दांव पर है। पैसा लगाने वाले इसमें निवेश से हिचकिचाएंगे। उनकी दिल्चस्पी मुनाफे में है, उन सिद्धांतों में नहीं जिनका पालन भंसाली नतीजों की चिंता किए बिना कर रहे हैं। वर्तमान में, एक अच्छी फिल्म संकीर्णतावाद का शिकार हो गई है।

इसका सबसे बुरा पक्ष यह है कि सारी चीजों का राजनीतिकरण कर दिया गया है। सत्ताधारी जनता पार्टी भंसाली-विरोधी तत्वों को समर्थन दे रही है। उनके अनुसार, यह फिल्म हिंदुत्व पर हमला है और इसे प्रदर्शित होने से रोकना एकदम जरूरी है। भंसाली को हिंदू-विरोधी समूह के नेता के रूप में बताया जा रहा है। यह बताने वाला कोई नहीं है कि अपनी फिल्म के कारण वह हिंदू-विरोधी क्यों हो जाएंगे और अगर वह पद्मावती के निर्माण की कोशिश छोड़ देते हैं तो वह एक स्वाभिमानी हिंदू क्यों हो जाएंगे।

यह अचरज की बात है कि भाजपा का शीर्ष नेतृत्व खामोश है और गैर-कानूनी गतिविधियां करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं कर रहा है। उसे यह समझना चाहिए कि अगर इस तरह की गतिविधियों को जारी रहने दिया गया तो कारोबार में आसानी के लिए उठाए गए कदमों से हुए फायदे गायब हो जाएंगे। इन गतिविधियों को देखकर भारत में निवेश नहीं होगा जिसके लिए सरकार बुरी तरह कोशिश कर रही है।

बहुत साल पहले, प्रसिद्ध फिल्म निर्माता तथा निर्देशक गुलजार को ऐसी ही परिस्थिति का सामना करना पड़ा था। उनकी फिल्म ''आंधी'' प्रदर्शित हुई तो सेंसर ने इसे बुरी तरह काट-छांट दिया था। हालांकि, इसने इंदिरा गांधी के निरकुंश शासन के विरोध में खड़ी जनता को एक संदेश दिया था।

शायद, एक तीसरी शक्ति जो न तो सांप्रदायिक है, न निरकुंश, ही इसका उत्तर है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शायद इसके उत्तर हैं। लेकिन वह अगर बिहार छोड़ते हैं तो लालू प्रसाद और उनका परिवार जगह भरेंगे, जो बेहतर विकल्प नहीं है।

कुछ वजहों से, केंद्र में आने वाली सरकारों ने प्रेस या मीडिया कमीशन की मांग को खारिज किया है। आजादी के बाद से दो कमीशन बने हैं। एक आजादी मिलने के तुरंत बाद और दूसरा 1977 में आपातकाल के बाद। दूसरे आयोगों की सिफारिशों पर विचार तक नहीं हुआ क्योंकि जब तक रिपोर्ट तैयार हुई इंदिरा गांधी सत्ता में वापस आ गई और उन्होंने आपातकाल के बाद सुझाए गए किसी कदम पर विचार करने से इंकार कर दिया। वह सत्ता में वापस लौटी थीं और आलोचकों के साथ बदले की भावना से पेश आई।

सबसे महत्वपूर्ण पहलू अखबारों, टेलीविजन और रेडियो का स्वामित्व एक ही घराने या व्यक्ति के हाथ में होना है। यहां तक कि अमेरिका में भी एक से अधिक संचार माध्यम पर स्वामित्व को लेकर कुछ नियंत्रण है। लेकिन भारत में कोई रोक नहीं है। यहां यह एक और कारखाना लगाने जैसा है।

सच है कि मीडिया ने एक लंबा सफर तय किया है। फिर भी, प्रेस कौंसिल ऑफ इंडिया की वर्तमान वार्षिक रिपोर्ट टेलीविजन चैनल को अपने अधिकार क्षेत्र में लाने की मांग असहाय होकर कर रही है। जो कहा जा रहा है उसे सत्ताधारी सुन नहीं रहे हैं। कौंसिल का कहना है, ''कुछ समय से पत्रकारिता के पेशे में दाखिल होने के लिए योग्यता का सवाल उठ रहा है। मीडिया एक पूरी तरह विकसित क्षेत्र हो गया है और लोगों की जिंदगी पर इसका कुछ असर है, यह समय आ गया है कि कानून के जरिए कुछ योग्यता तय की जाए।'' मैं इससे सहमत नहीं हूं कि कोई रिमोर्ट कंट्रोल हो। मैं एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक अनुशासनहीन प्रेस पसंद करूंगा, बजाय इसके कि एक व्यवस्थित समाज में एक अनुशासित प्रेस हो। चुने हुए प्रतिनिधियों का शासन भीड़ का शासन लग सकता है। यह कभी भी एक अनुशासित निरकुंश शासन से अच्छा है।

साभार www.deshbandhu.co.in/ से

दुनिया भर में 35 करोड़ लोग मधुमेह के शिकार

डायबिटीज में भारत दूसरे नंबर पर है भारत मधुमेह को लेकर रिकॉर्ड बनाता दिख रहा है। देश में डायबटीज के छह करोड़ से ज्यादा मामले है। इससे ज्यादा मामले केवल चीन में है। दुनिया भर में करीब 35 करोड़ लोग मधुमेह का शिकार हैं। इनमें से करीब 6.3 करोड़ अकेले भारत में हैं। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने राज्य सभा में कहा कि इस मामले को संजीदगी से लिया जा रहा है और कैंसर, स्ट्रोक और डायबिटीज की रोकथाम के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम को सभी राज्यों में लागू कर दिया गया है।

राज्य सभा में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, '11वीं पांच वर्षीय योजना' में 21 राज्यों के 100 जिले केंद्र में थे। 12वीं पांच वर्षीय योजना में देश के सभी राज्यों को इसमें शामिल कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि मधुमेह के इलाज और रोकथाम के लिए जिला अस्पतालों और कम्यूनिटी हेल्थ सेंटरों में सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ के अनुसार 2030 तक डायबिटीज लोगों की मौत का सातवां सबसे बड़ा कारण होगा। चीन में डायबिटीज के करीब साढ़े नौ करोड़ मामले हैं। एक ताजा शोध के अनुसार खाने में नियमित रूप से दही का सेवन करने से टाइप टू डायबिटीज में मदद मिल सकती है। इस तरह का मधुमेह तब होता है जब शरीर की इंसुलिन पैदा करने क्षमता खत्म हो जाती है। यही वजह है कि मधुमेह के शिकार लोगों को इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ते हैं। डायबिटीज का असर ब्लड प्रेशर, दिल और आंखों पर भी पड़ सकता है। मोटापे के शिकार लोगों में अक्सर डायबिटीज भी पाया जाता है।

विश्व मधुमेह दिवस हर साल विश्वभर में 14 नवम्बर को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मधुमेह रोग के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करना है ताकि समय रहते इसके लक्षणों का पता कर उचित उपचार किया जा सके। पहली बार विश्व मधुमेह दिवस का आयोजन, विश्व स्वास्थ्य संगठन और अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह संघ द्वारा सन् 1991 में 14 नवम्बर के दिन किया गया था।

विश्व मधुमेह दिवस 14 नवम्बर को मनाने का एक मुख्य कारण भी है, क्योंकि इसी दिन इंसुलिन की खोज करने वाले वैज्ञानिक फेडरिक का जन्म हुआ था। फ्रेडरिक बेटिंग के योगदान को याद रखने के लिए इंटरनेशनल डायबेटिक फेडरेशन द्वारा 14 नवंबर को दुनिया के 140 देशों में मधुमेह दिवस मनाया जाता है। प्रारम्भ में 'विश्व मधुमेह दिवस' हेतु 'यिन और याँग' को प्रतीक चिह्न के लिये चुना गया था।

अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह संघ के सतत प्रयास के फलस्वरूप संयुक्त राष्ट्र संघ ने अन्ततः मधुमेह की चुनौती को स्वीकारा और दिसम्बर, 2006 में इसे अपने स्वास्थ कार्यक्रमों की सूची में शामिल किया। सन् 2007 से अब यह संयुक्त राष्ट्र के कार्यक्रम के रूप में मनाया जाता है। संयुद्र राष्ट्र के सूची में शामिल होने का सबसे बड़ा लाभ यह हुआ कि अब संयुक्त राष्ट संघ के सदस्य देश अपनी स्वास्थ्य संबंधी नीति-निर्धारण में इसे महत्त्व दे रहें है।

सन 2007 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा इस दिवस को अंगीकार करने के बाद इस का प्रतीक चिह्न नीला छल्ला चुना गया है। छल्ला या वृत्त, निरंतरता का प्रतीक है। वृत्त इस बात का प्रतीक है विश्व के सभी लोग इस पर काबू पाने के लिये एकजुट हों। नीला रंग आकाश, सहयोग और व्यापकता का प्रतीक है। इस प्रतीक चिह्न के साथ जो सूत्र वाक्य दिया गया है वह है- मधुमेह के लिए एकजुटता।

मधुमेध क्या है?

खून में ग्लूकोज (शर्करा) का स्तर निर्धारित सीमा से अधिक होता

है, तो ऐसी स्थिति को मधुमेह रोग कहते हैं। दरअसल मधुमेह या डायबिटीज, जीवनशैली या वंशानुगत बीमारी है, जो शरीर में पैंक्रियाज ग्रंथियों के निष्क्रिय होने पर रोगी को प्रभावित करती है।

पैंक्रियाज यानि अग्न्याशय ग्रंथियों के निष्क्रिय होने पर इंसुलिन (रक्त में शर्करा की मात्रा को संतुलित करने वाला हार्मोन) बनाना बंद हो जाता है।

इसके साथ ही कोलेस्ट्रॉल और वसा भी असामान्य हो जाते हैं, जिस कारण वाहिकाओं में बदलाव होता है और आंखों, गुर्दे, दिमाग, दिल आदि संबधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

बच्चों में मुख्यतः प्रकार-1 मधुमेह होता है, जिसके चिकित्सा के लिए जीवन पर्यन्त इंसुलिन लेना होता है। कई बार इससे पीड़ित बच्चें के लक्षणों को न पहचान पाने के कारण उनकी मौत, डायाबिटीक कोमा में हो जाती है। बीमारी के निदान होने के बाद भी आर्थिक और अन्य कारणों से इन बच्चों को समुचित चिकित्सा नहीं मिल पाती। बदलते जीवन शैली और ठोस, उच्च ऊर्जा युक्त भोजन की प्रचुरता के कारण बच्चों में मोटापे की प्रवृत्ति इधर बहुत तेजी से बढ़ रही है। अमेरिकी आंकड़े बताते हैं कि 7 से 15 वर्ष की आयु वर्ग के बीच मोटापे की दर में 1985 से 1997 के बीच दो से चार गुनी वृद्धि हुई है। भारत में बच्चों में बढ़ते मोटापे की प्रवृत्ति एवं शारीरिक श्रम में कमी के कारण अब प्रकार-2 मधुमेही बच्चे भी बड़ी संख्या में देखने को मिल रहें हैं। मधुमेह देखभाल संस्था ने बच्चों को केन्द्रित कर अभियान शुरू किया है जिसके तहत स्कूलों में बच्चों एवं अध्यापकों को इस बीमारी के प्रति जागरूक करने, स्वस्थ भोजन, जीवन शैली एवं व्यायाम की महत्ता समझाने के लिये व्याख्यान किये जा रहे हैं और विज्ञापनों के माध्यम से बच्चों के सृजनात्मक सोच को विकसित किया जा सके।

मधुमेध का सामान्य स्तर

खून में शर्करा (शुगर) का सामान्य स्तर निम्न प्रकार है:

भूखे पेट (व्रत के दौरान) 100 मि.ग्रा. से कम होना चाहिए।

खाना खाने से पहले 70 से 130 मिग्रा के बीच होना चाहिए।

खाना खाने के बाद रक्त में ग्लूकोज की मात्रा 180 मि.ग्रा. से कम होनी चाहिए।

सोते समय खून में शर्करा की सामान्य मात्रा 100 से 140 मि.ग्रा. होती है।

मधुमेह के मुख्य लक्षण

थकान, कमजोरी, पैरों में दर्द, क्योंकि ग्लूकोज ऊर्जा में परिवर्तित नहीं हो पाता।

पैर का घाव ठीक न होना या गैंग्रीन का रूप ले लेना।

अधिक पेशाब और भूख लगना।

वजन कम होना।

बार-बार चश्मे का नंबर बदलना।

जननांगों में खुजली और संक्रमण होना।

दिल या मानसिक समस्याएं।

आहार के साथ जरूरी सावधानियां

नियमित शुगर स्तर की जांच कराए।

किसी भी तरह के घाव को खुला ना छोड़ें।

फलों का रस लेने के बजाय, फल खायें।

व्यायाम करें और अपना वजन नियंत्रित रखें।

ग्लूकोज, चीनी, जैम, गुड़, मिठाईयाँ, तले हुए आहार, अल्कोहल का सेवन, सूखे मेवे, बादाम, मूँगफली, आलू, शकरकंद, मटर, सेम जैसी सब्जियाँ, केला, शरीफा, चीकू, अन्जीर, खजूर जैसे फल से परहेज करें।

सलाद, कच्ची सब्जियाँ, सब्जियों के सूप, चाय, काफी या नीबू पानी आदि पर्याप्त मात्रा में ले सकते हैं।

योग भी डायबिटीज के रोगियों के लिए अच्छा है।

अभी तक डायबिटीज का कोई भी ठोस इलाज नहीं है, लेकिन इसके खतरों से बचने के लिए आहार में सावधानी बरतने और नियमित रूप से व्यायाम करने की जरूरत है।

मधुमेह की जांच के निदान

मधुमेह की जांच के लिए कई परिक्षण किए जाते हैं

बेनेडिक्ट टेस्ट

ग्लूकोज ऑक्सीडेज टेस्ट

खाली पेट रक्त शर्करा की जाँच

ग्लूकोज टोलरेंस टेस्ट

भारत मे मधुमेह की समस्या

विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, डायबिटीज यानि मधुमेह एशिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य समस्याओं में से एक है, जिसका प्रभाव सबसे अधिक भारत में देखा गया है। अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह फेडरेशन के मुताबिक, भारत में लगभग में 6.5 करोड़ वयस्क डायबिटीज और 7.7 करोड़ लोग प्री डायबिटीज की समस्या से पीड़ित हैं।

मौजूदा स्थिति को देखते हुए कई स्वास्थ्य संगठनों ने यह अनुमान लगाया है, कि भारत में साल 2030 तक मधुमेह से पीड़ितों की संख्या लगभग 10 करोड़ और 2035 तक 10.9 करोड़ तक पहुंच सकती है।

भारत की मेटाबोलिक सर्जरी फाउंडेशन द्वारा, बरिएट्रिक सर्जरी से मधुमेह का उपचार किया गया है, जिससे 2011 में लगभग 3500 और 2013 10,000 पीड़ितों का इलाज किया गया था।

गलत खानपान एवं आलसी जीवन शैली के कारण दिन-प्रतिदिन कम उम्र के लोगों में यह बीमारी हो रही है। अतः भारत में जोर-शोर से विश्व मधुमेह दिवस मनाने की जरूरत है। इस लक्ष्य को लेकर कुछ कार्यक्रम प्रस्तुत किये गये हैं ।

भारत सार्वजनिक स्वास्थ्य के सभी लक्ष्यों को हासिल करने के लिए राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर प्रतिबद्ध:जेपी नड्डा

शिमला/शैल। ''भारत सार्वजनिक स्वास्थ्य के सभी लक्ष्यों को हासिल करने के लिए राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर प्रतिबद्ध है और भारत को सस्ते चिकित्सा उपकरणों के केन्द्र के रूप में विकसित करने पर विशेष

ध्यान दिया जा रहा है।'' केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जे पी नड्डा ने यहां 'सतत विकास के लिए 2030 के एजेंडा के संदर्भ में चिकित्सा उत्पादों तक पहुंच और व्यापार तथा स्वास्थ्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानूनों पर पहले विश्व सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए यह बात कही। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा के सस्ते चिकित्सा उत्पाद विकसित करने के लिए उद्योग और शैक्षणिक समुदाय के बीच सहयोग को इस प्रकार बढ़ाने की जरूरत है कि चिकित्सा क्षेत्र में नए अविष्कार और इस क्षेत्र की प्रगति जनसंख्या के बड़े हिस्से तक पहुंच सके।

इस अवसर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य अनुप्रिया पटेल, नीति आयोग के सदस्य डॉ. वी. के. पॉल, स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन, स्वास्थ्य और अनुसंधान विभाग में सचिव और आईसीएमआर में महानिदेशक डॉ. सौम्या स्वामीनाथन तथा स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक डॉ. जगदीश प्रसाद मौजूद थे।

नियामक प्राधिकारों और फार्मा क्षेत्र के बीच पारदर्शिता के महत्व को उजागर करते हुए नड्डा ने कहा कि राष्ट्रीय नियामक प्राधिकारों और फार्मास्यूटिकल क्षेत्र के बीच समन्वय से नई स्वास्थ्य टेक्नोलॉजी को शुरू किया जा सकेगा और उसका पंजीकरण हो सकेगा। उन्होंने कहा कि प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यों में प्रतिस्पर्धा की भूमिका के बारे में बातचीत और स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले संबंधित डब्ल्यूटीओ समझौतों पर विचार-विमर्श से सरकार को बड़े पैमाने पर नीतिगत विकल्प मिल सकेंगे।

नड्डा ने कहा कि 2015 की राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति स्थानीय निर्माता को बहुउत्पाद, बहुविषयक उद्योग के लिए सक्षम बनाएगी। उन्होंने कहा ''भारत में प्रतिदिन करीब 150 हजार घुटनों का इलाज किया जाता है। चिकित्सा उपकरणों के क्षेत्र में अधिक निवेश और प्रभावी व्यक्तियों अथवा समूहों के अधिक संख्या में जुड़ने से कीमतें कम होगी और चिकित्सा उत्पादों तक पहुंच बढ़ेगी क्योंकि अधिकतर सरकारें चिकित्सा उत्पादों तक पहुंच और उनके मूल्यों को लेकर संवेदनशील हैं।

वीडियो लिंक के जरिए सम्मेलन को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कहा कि सार्वजनिक स्वास्थ्य में अनुसंधान और विकास में दो प्रमुख पहलुओं पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। इसमें बीमारियों के लिए सुरक्षित, प्रभावी और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा उत्पाद तथा क्षेत्र से जुड़े लोगों से प्राप्त जानकारी नए अविष्कारों और नव परिवर्तनों को पहली बार उपलब्ध कराना शामिल है। उन्होंने कहा कि अनुसंधान और विकास में चिकित्सा उपकरणों/ उत्पादों के मूल्यों को सस्ती दरों पर लोगों को उपलब्ध कराने पर ध्यान दिया जाना चाहिए। उन्होंने एंटी-माइक्रोबायल रेजिस्टेंस (एएमआर) के मुद्दे को भी उजागर किया।

समारोह में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि भारत अपने नागरिकों के लिए स्वास्थ्य के सर्वोच्च मानक हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर चिकित्सा उत्पादों (दवाओं, टीकों, चिकित्सा उपकरणों और निदान) तक पहुंच कुल मिलाकर स्वास्थ्य प्रणाली में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक महत्वपूर्ण पहलू है, 2030 के सतत विकास लक्ष्य एजेंडा की सफलता के लिए चिकित्सा उत्पादों तक पहुंच एक महत्वपूर्ण तत्व है जिसका उद्देश्य स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करना और सभी आयु वर्ग के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना है।

नीति आयोग के सदस्य डॉ. वी. के. पॉल ने कहा कि निरोधक थेरेपी और इलाज के लिए चिकित्सा उत्पादों में निवेश की आवश्यकता है। उन्होंने सस्ती दवाओं और उपकरणों तक अधिक पहुंच के लिए नीति और नव परिवर्तन की एक ईको प्रणाली बनाने तथा इन्हें खरीदने की क्षमता, गुणवत्ता घरेलू उत्पादन क्षमता के महत्व पर विशेष जोर दिया। डॉ. वी. के. पॉल ने कहा कि किसी भी देश में चिकित्सा प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए प्रौद्योगिकी एक अभिन्न खंड है और सुदूरवर्ती एवं ग्रामीण इलाकों में आपूर्तिकर्ताओं द्वारा चिकित्सा उपकरणों का समय पर रख-रखाव इस तरह से सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि उपकरण दक्षता से कार्य करें।

स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन ने दवाओं और चिकित्सा उत्पादों तक पहुंच की चर्चा की। उन्होंने कहा कि सुरक्षित चिकित्सा उत्पाद कम मूल्यों पर उपलब्ध होने चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि स्वास्थ्य मंत्रालय सुरक्षित, गुणवत्तापूर्ण और दवाओं की प्रभावोत्पादकता सुनिश्चित करने के लिए मजबूत नियंत्रण प्रणाली बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

आईसीएमआर की महानिदेशक ड . सौम्या स्वामीनाथन ने उत्पादन की लागत कम करने और उनकी डिलीवरी के लिए टीआरआईपी के लचीलेपन का कैसे इस्तेमाल किया जाएय सस्ती दवाओं और उपकरणों के वैकल्पिक मॉडल जैसे स्वैच्छिक लाइसैसिंग स्पष्ट निर्दिष्ट नियामक मार्ग अनुसंधान और विकास तथा सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित अनुसंधान और विकास में अधिक निवेशय नवोन्मेष स्वास्थ्य सेवा डिलीवरी मॉडल एंटी बायोटिक प्रबंधन और शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े लोगों सहित सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के बीच सहयोग जैसे मुद्दों पर जोर दिया।

इस सम्मेलन का आयोजन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने भारत में डब्ल्यूएचओ के कंट्री ऑफिस के सहयोग से और भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विधि सोसायटी की भागीदारी से किया है। सम्मेलन का उद्देश्य जानकारी का आदान-प्रदान करना और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानूनों, अनुसंधान तथा नवोन्मेष में आधुनिक मुद्दों पर समझ बनाना है ताकि एसडीजी 2030 का एजेंडा हासिल करने के लिए चिकित्सा उत्पादों तक पहुंच बन सके।

इस अवसर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में अपर सचिव डॉ. आर. के. वत्सय भारत में डब्ल्यूएचओ के प्रतिनिधि डॉ. हेंक बेकेदम और भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विधि सोसायटी के अध्यक्ष डॉ. ईएमएस नचिअप्पन, मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी, विभिन्न देशों और विकास संगठनों के प्रतिनिधि भी मौजूद थे।

संसद का शीतकालीन सत्र 15 दिसम्बर, 2017 से 5 जनवरी 2018 तक चलेगा

शिमला/शैल। संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीपीए) ने इस वर्ष संसद का शीतकालीन सत्र 15 दिसम्बर, 2017 से 5 जनवरी, 2018 तक आयोजित करने की सिफारिश की है। यह अवधि सरकारी कामकाज की अत्यावश्यकता के अधीन होगी। संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार ने सीसीपीए की बैठक के बाद यह जानकारी दी।

अनंत कुमार ने बताया कि शीतकालीन सत्र में कुल 14 बैठकें होंगी और यह 22 दिन तक चलेगा। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने की, जिसमें संसद के आगामी सत्र के लिए विधायी कार्यसूची पर विचार किया गया।

पत्रकारों से बातचीत करते हुए अनंत कुमार ने कहा कि यह पहला अवसर नहीं है जबकि विधानसभा चुनावों के चलते संसद के सत्र को उसी समय आयोजित नहीं किया गया हो। यह पद्धति अतीत में विभिन्न सरकारों द्वारा अनेक अवसरों पर अपनाई जाती रही है। अनंत कुमार ने राजनीतिक दलों से अपील की कि वे महत्वपूर्ण विधेयकों पर उपयोगी और रचनात्मक बहस में सहयोग करें और संसद के दोनो सदनों की कार्यवाही सुचारू रूप से चलना सुनिश्चित करें।

तीन तलाक और राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में अनंत कुमार ने कहा कि भारत की जनता की यह प्रबल इच्छा है कि इन दोनों महत्वपूर्ण मुद्दों पर संसद कानून बनाए और सरकार लोगों की इच्छा पूरी करने के प्रति वचनबद्ध है।

आगामी शीतकालीन सत्र में निम्नांकित अध्यादेशों के स्थान पर तीन विधेयक पेश किए जाएंगे:

वस्तु एवं सेवा कर (राज्यों को मुआवजा) अध्यादेश, 2017 (02.09.2017 को जारी)

ऋण शोधन और दिवाला संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2017

भारतीय वन (संशोधन) अध्यादेश, 2017

संसद शीतकालीन सत्र में पूरक अनुदान मांगों पर भी विचार करेगी।

सौराष्ट्र में सौगातों की बहार,जनता को भाजपा का उपहार:अनुराग

शिमला/शैल। गुजरात विधानसभा चुनाव 2017 में भाजपा के स्टार प्रचारक हमीरपुर सांसद अनुराग ठाकुर ने राजुला से भाजपा प्रत्याशी हीराभाई सोलंकी के साथ सौराष्ट्र के राजुला के जाफराबाद में जनसभा को सम्बोधित कर सौराष्ट्र में भाजपा सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों के बारे में बताते हुए जनता से मिशन 150 को सफल बनाने की अपील की।

सभा को सम्बोधित करते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा 'आज से 30 साल पहले सौराष्ट्र में पानी की कमी से जूझते किसानों की समस्याओं की कांग्रेस सरकार ने लगातार अनदेखी की जिसके चलते कितने ही किसानों को यहाँ से पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। मगर गुजरात में जैसे ही भाजपा की सरकार बनी यशस्वी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यहाँ पर किसानों से जुड़ी हर समस्याओं को ना सिर्फ सुना गया बल्कि प्राथमिकता के आधाार पर उसका निस्तारण भी किया गया। जिसके चलते यहाँ की जनता ने अपनी जमीन और हाथों से विकास की नई परिभाषा गढ़ी जिसका आज पूरे भारतवर्ष में उदाहरण दिया जाता है। नर्मदा की साउनी परियोजना सूखा प्रभावित सौराष्ट्र के लिए काफी अहम है। इससे सौराष्ट्र के 11 सूखा प्रभावित जिलों को पानी की आपूर्ति होनी है, जिसके पहले चरण का पानी गांवों तक पहुंच चुका है। इस योजना के तहत सरदार सरोवर बांध के अतिरिक्त पानी से क्षेत्र के 115 बांधों को भरा जाएगा। पहले चरण के चालू होने के साथ ही 10 बांधों को नर्मदा के पानी भर भी दिया गया है। एक समय कच्छ के लोगों को पीने का पानी मिलना भी मुश्किल हो रहा था, लेकिन अब नर्मदा परियोजना की वजह से उन्हें पर्याप्त मात्रा में पानी मिल सकेगा।

अनुराग ठाकुर ने कहा गुजरात में समुद्र तट का 1600 किलोमीटर से ज्यादा हिस्सा उपलब्ध है। भाजपा शुरूआत से गुजरात में पोर्ट लैण्ड डेवलपमेंट की बात कर रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए भाजपा ने राज्य में शिप बिल्डिंग की योजना बनाई, शिप बिल्डिंग पार्क बनाए, शिप ब्रेकिंग के नए नियम बनाए। भाजपा ने विशेष आर्थिक क्षेत्र में छोटे बंदरगाहों को बढ़ावा देने पर बल दिया है। इससे गुजरात के बंदरगाह क्षेत्र को नई दिशा और ऊर्जा मिली है। आगामी नीली क्रांति में मछुआरों को लॉन्ग लाइनर ट्रॉलर के लिए सब्सिडी दी जाएगी। इससे मछुआरों की जिंदगी और कारोबार दोनों में सुधार होगा। नए ट्रॉलर्स के जरिए मछुआरों के भटक कर दूसरे देश की सीमा में जाने की समस्या भी कम होगी।

बैंक चेकबुक सुविधा वापस लेने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं

शिमला/शैल। मीडिया के एक वर्ग में इस आशय की खबरें आ रही हैं कि केन्द्र सरकार डिजिटल लेन- देन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निकट भविष्य में बैंक चेकबुक सुविधा वापस ले सकती है। हालांकि, इस बात से इन्कार किया जाता है कि बैंक चेकबुक सुविधा वापस लेने का कोई भी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

इस संबंध में इस बात पर विशेष जोर दिया जाता है कि वैसे तो सरकार भारत को 'लेस कैश' अर्थव्यवस्था में तब्दील करने और डिजिटल तथा इलेक्ट्रॉनिक लेन-देन को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन चेक वास्तव में धनराशि भुगतान परिदृश्य का अभिन्न अंग है और इसके साथ ही यह व्यापार एवं वाणिज्य की रीढ़ है।

ठोस कचरा प्रबंधन में केन्द्र पर दोषारोपन कोई हल नहीं :डॉ.राकेश कपूर

हिमाचल प्रदेश के ठोस कचरा प्रबंधन के मेगा प्रोजेक्ट के संदर्भ में समाचार पत्रों में प्रकाशित रिपोर्ट में केंद्र सरकार द्वारा धन राशि जारी न किये जाने के कारण मेगा प्रोजेक्ट फेल होने के समाचार निश्चित रूप रूप से एक बड़ी समस्या की ओर इशारा कर रहे हैं । परन्तु इस प्रकरण से उपजी परिस्थिति के आकलन की अत्यधिक गंभीरता से विवेचना की आवश्यकता है । क्योंकि स्वच्छ भारत अभियान प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी का प्रमुख प्रकल्प है।

हिमाचल प्रदेश सरकार का यह आरोप कुछ हद तक सही हो सकता है कि केंद्र इस में अड़ंगा लगा रहा है मगर अब सब यह जानते है कि प्रदेश सरकारों को केंद्र प्रयोजित योजनाओं के लिए जो धन मिलता है वह विस्तृत योजना के आधार पर किश्तों में जारी होता है। इस में पहले राज्यों को अपना निर्धारित अंशदान जमा करना पड़ता है फिर तिमाही वार समीक्षा के आधार पर राशि जारी होती है। हिमाचल सरकार का नगर निकाय एवम शहरी विकास विभाग जिस मंत्री के पास था उन को यदि 5 वर्ष विदेशी भ्रमण से फुरसत मिलती तो वह विभाग के बारे में सोचते यह आरोप केवल विरोधी ही नहीं उन के अपने विधान सभा क्षेत्र के लोग लगा रहे हैं। धर्मशाला को स्मार्ट सिटी घोषित करवाने के लिए जिस प्रकार आंकड़ों में फर्जीवाड़ा हुआ और विभाग की उच्च न्यायालय में जो फजीहत हुई किसी से छिपी नहीं है ।

इस के बाद भी विभाग के अधिकारियों ने बिना प्रादेशिक अंशदान जमा करवाये केंद्रीय सरकार द्वारा जारी राशि से करोड़ों रुपये खर्च कर डाले, जब केंद्र सरकार हरकत में आई तो इस सारे व्यय को अवैध घोषत कर केंद्र ने आगमी आबंटन पर रोक लगा दी। धर्मशाला और शिमला के ठोस

कचरा प्रबंधान प्रकल्प व भूमिगत कुड़ादानों की खरीद पर भ्रष्टाचार के समाचार आने लगे हैं।

जहां तक प्रदेश में ठोस कचरा प्रबंधन का सवाल है उसे धन से ज्यादा उचित प्रबंधन और योजना, क्रियान्वयन की जरूरत थी मगर विभाग, मंत्री और चहेते अफसरों की टोली ने इस का इस कदर बंटाधार कर दिया के प्रदेश के शहर कूड़े के ढेर बन गए। प्रदेश सरकार के नीति निर्धारकों के चलते देश और विदेश में प्लास्टिक कचरा प्रबंधन प्रकल्प जिसे 2009 – 10 में प्रधानमंत्री पुरस्कार से नवाजा गया था कि 2014 से अलख जगाने वाले अधिकारियों को सजा के तौर पर प्रताड़ित किया गया उन को राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय गोष्ठियों में प्रदेश का नाम रोशन करने के बदले विभागीय जांच तक झेलनी पड़ी। जबकि केंद्रीय कार्मिक विभाग और भूतल परिवहन , सड़क, जहाजरानी मंत्री के कार्यालय, महराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा,मध्यप्रदेश , जैसे राज्यों ने उन को सन्मानित किया। यही नहीं राष्ट्रीय हरित प्राधिकर्ण, देश के सर्वोच्च न्यायलय की ठोस कचरा प्रबन्धन विशेषज्ञ अलमितत्र पटेल ने भी डा. कपूर के इस प्रयास को राष्ट्रीय जरुरत बता कर पंख लगाने की वकालत की, जिस के फल स्वरूप हरित प्राधिकरण पश्चिम के निर्देश पर पूना महानगर पालिका अब 25% सड़कें प्लास्टिक कचरे से बना रही है।

हिमाचल प्रदेश के ठोस कचरा प्रबंधन मैं भ्रष्टाचार, अकर्मण्यता, अफसरशाही के मैं, सव्हितस्ये सेवा के चलते जो स्थिति उपजी है उसके लिए केंद्र के सिर दोषारोपण ठीक नहीं । हिमाचल में भू-भौगोलिक परिस्थितियों तापमान तथा कचरा उत्सर्जन की मात्रा के चलते अलग मगर छोटी और क्षेत्रीय स्तर पर लागू की जा सकने वाली, कम लागत की जनसहभागीदारी से पूरी की जा सकने वाली योजनाओं के प्रकल्प बनाने के लिए अपनी सेवाएं देने को तैयार डॉ. कपूर ने प्रतिक्रया देते हुये कहा कि सरकार की इच्छाशक्ति की कमीं और भ्रष्ट अफसरों की टोली प्रदेश को कूड़े का ढेर बना रही है। जब कि उन्होंने जो उपाय सुझाये हैं उनके लिए धन प्रदेश में ही उपलब्ध है। तकनीकें सस्ती, मजबूत और टिकाऊ हैं । मगर कमीशन के चलते उन पर गौर नही हो रहा।

कचरे से ऊर्जा, भूमिगत, इलेक्ट्रॉनिक चिप लगे स्मार्ट डस्टबिन के नाम पर प्रदेश को चुना लगाया जा रहा है। जबकि एंजाइम बेस्ड कंपोस्टिंग, प्लास्टिक कचरा निर्मित सड़कें , हाउस होल्ड 50 किग्रा कचरा वेसल्स, यूरिन से यूरिया, रद्दी कागज और कपड़े से फाइल फोल्डर्स, अखबारी कागज से 10 किलो तक भार उठाने में सक्षम लिफाफे, कृषि बायो वेस्ट से खाद। वह समाधान हैं जो इस सिर्फ वैज्ञानिक कसौटी पर खरे उतरे हैं अपितु आसान और ग्राह्य भी हैं। मगर प्रदेश में कचरे को ठिकाने लगाने के उपाय करने की बजाए इसके लिए केंद्र से प्रापत फण्ड को ठिकाने लगाने की योजना को महत्व दिया जा रहा है। चूंकि हिमाचल भर में डंपिंग ग्राउंड्स यानी कचरा एकत्रिकर्ण स्थल हेतु पर्याप्त समतल भूमि नहीं मिलती, दूसरा अधिक वर्षा, साल में 9 माह कम तापमान, के चलते कचरा निस्तारण में डीकंपोजीशन कारगर नहीं। प्रतिव्यक्ति /प्रतिदिन उत्सर्जीत कचरे की मात्रा कम होने के चलते BOT/BOOM आधारित प्रकल्प लाभकारी नहीं । तीसरा MOU सहमति ज्ञापन में जानबूझ कर ऐसे शर्तो को नजर अंदाज कर दिया जाता है जो निजी कंपनी को प्रोक्जेक्ट फेल होने पर लाभ दें। ठोस कचरा प्रबन्धन की सफलता के मूल में कचरा बीनने वाले यानी वेस्ट वर्कर की केन्द्रीय भूमिका है। उसको नजरन्दाज कर बनाई योजना का फेल होना निश्चित है। 2016के कचरा प्रबंधन नियमावलि में यह अधिसूचित है।

हिमाचल प्रदेश को पर्यटन उद्योग के विकास के चलते कचरा प्रबंधन में निजी हित त्याग कर एक ईमानदार प्रयास से घर का जोगी जोगड़ा बाहर का जोगी सिद्ध को छोड़ नए प्रयास करने जरूरी है यदि स्वच्छ भारत-स्वच्छ हिमाचल सुन्दर प्रदेश बनाना है और वह यह इच्छा रखता है कि केंद्र उन योजनाओं के लिए धन दे। हिमाचल दोषारोपन की जगह अपनी गलती और कमी को स्वाकारे, और नये पहल को अपना ले ।

किन्नौर के किसानों ने लिया नौणी विवि में बागवानी पर प्रशिक्षण

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के पचास किसानों ने पिछले दिनों नौणी स्थित डॉ यशवंत सिंह परमार औद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय में छह दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया। यह प्रशिक्षण, बागवानी फसलों का उत्पादन प्रौद्योगिकी

विषय पर आधारित था और सतलुज जल विद्युत निगम (एस.जे.वी.एन) द्वारा प्रायोजित किया गया था।

नौणी विवि ने लघु अवधि कौशल विकास प्रशिक्षण देने के लिए एस.जे.वी. एन के साथ एमओयू किया हुआ है जिसके तहत इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन विश्वविद्यालय के विस्तार शिक्षा निदेशालय ने किया। इस कार्यक्रम में भाग ले रहे किसान, किन्नौर की ट्रांडा और निचार पंचायतों से हैं।

डॉ. जितेंद्र चौहान और डॉ. मानिका तोमर, जो इस कार्यक्रम के समन्वयक थे, ने बताया कि किसानों को बागवानी उत्पादन तकनीक का पूरा पैकेज जिसमें फलों के पेड़ों की छंटाई आदि शामिल है का प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में विदेशी सब्जियों के उत्पादन की गुंजाइश पर भी ध्यान केंद्रित किया गया। फील्ड दौरे के अलावा, प्रतिभागियों को विशेषज्ञों के व्याख्यान सुनने का भी मौका प्रदान किया गया।

नौणी विवि के विस्तार शिक्षा निर्देशक डॉ. विजय सिंह ठाकुर ने अपने व्याख्यान में सेब की फसल से जुड़ी बीमारियों के बारे में प्रतिभागियों को बताया। उन्होंने जलवायु परिवर्तन का टेम्परेट फसलों में बीमारी के विकास पर प्रकाश डाला और इनसे निपटने के लिए भी उपाए सुझाए।

छह दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान सेब में उच्च घनत्व वृक्षारोपण के अलावा, फूलों की खेती व उसका प्रचार, नर्सरी उत्पादन और क्लोनल रूटस्टॉक्स जैसे विषयों पर भी ज्ञान प्रतिभागियों से साझा किया गया। विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने महत्वपूर्ण टेम्परेट फल की अच्छी किस्मों, स्व-सहायता समूहों का गठन और कीट प्रबंधन के बारे में विस्तार से बताया। इसके अलावा प्रशिक्षण के दौरान मधुमखी पालन, फसल की कटाई के बाद का सही संचालन, कृषि वानिकी तकनीकों पर ज्ञान दिया गया। भाग ले रहे किसानों को एक्सपोजर विजिट के दौरान चम्बाघाट स्थित मशरूम रिसर्च निदेशालय और कृषि विज्ञान केंद्र, कंडाघाट ले जाया गया।

समापन समारोह में संयुक्त निदेशक (संचार) डॉ. राज कुमार ठाकुर, ने इस तरह के आयोजन का महत्व समझाया और कौशल विकास गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रशिक्षुओं को प्रेरित किया। उन्होंने प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र और प्रशिक्षण किट भी वितरित किए।

स्वच्छ भारत पर वॉटर ऐड की टिप्पणियां "अव्यवस्थित"

शिमला/शैल। वॉटर ऐड ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है जिसका शीर्षक है ''अव्यवस्थित (आउट ऑफ ऑर्डर)-विश्व के शौचालयों की स्थिति-2017''। इस रिपोर्ट में डब्ल्यूएचओ-यूनिसेफ के संयुक्त निगरानी कार्यक्रम (जेएमपी) के आंकडें दिए गए हैं जिसमें 2000 और 2015 के बीच पिछले अध्ययनों से उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर स्वच्छता आंकड़ों का व्यापक अनुमान लगाया गया है। इसका अर्थ है कि इसने स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत अधिकतर प्रगति के बारे में सुअवसर खो दिया है जिसका उद्देश्य अक्तूबर 2019 तक देश से खुले में शौच की परंपरा को समाप्त करना है।

इस बात को मान्यता प्रदान करते हुए कि इतने कम समय में इतने अधिक व्यक्तियों को खुले में शौच करने की व्यवस्था से बाहर करने की अभूतपूर्व प्रतिबद्धता दुनिया में किसी भी भाग में देखने को नहीं मिली, जेएमपी ने, इसी रिपोर्ट में एक विशेष खंड शामिल किया है जिसमें स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत त्वरित परिणामों की अत्यधिक प्रशंसा की गई है और कहा किया है कि उनकी रिपोर्ट में 2015 से किए गए कार्य का बहुत अधिक हिस्सा शामिल नहीं किया गया है, इसलिए आंकडें अद्यतन नहीं है।

तथापि वॉटर ऐड ने रिपोर्ट में इस बिंदु का जिक्र नहीं किया है, जिसके कारण पाठक गुमराह होकर यह विश्वास कर सकता है कि भारत में स्वच्छता की वर्तमान स्थिति यही है। रिपोर्ट में दी गई संख्याओं और वास्तविकता के बीच विषमता अत्यधिक है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि ''355 मिलियन महिलाएं और लड़कियां अभी भी शौचालय का इंतजार कर रही हैं।'' यह वास्तविकता से परे है। जेएमपी की यही रिपोर्ट इस बात की पुष्टि करती है कि जून 2017 तक भारत में खुले में शौच करने वालों की संख्या घटकर 350 मिलियन रह गई और नवंबर 2017 में यह और कम होकर 300 मिलियन रह गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में 56 प्रतिशत लोगों की सुरक्षित स्वच्छता तक पहुंच नहीं हैं जबकि वर्तमान संख्या कम होकर 28 प्रतिशत रह गई है। वास्तविकता तो यह है कि पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय अपने वेबसाइट पर स्वच्छता कवरेज के बारे में परिवार के स्तर पर विस्तृत आंकडें रखता है जो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है।

वॉटर ऐड जैसे विश्वसनीय संगठन से इस प्रकार का वक्तव्य तथ्यों के आधार पर गलत और गैर जिम्मेदाराना है, खास तौर से जब वॉटर ऐड इंडिया टीम पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय तथा स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के साथ कार्य कर रही है और उसे जमीनी कार्य, वृहद आंकड़ों एवं सम्पूर्ण प्रगति की पूरी जानकारी है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि वॉटर ऐड इंडिया द्वारा इन तथ्यों की जानकारी अपने वैश्विक सहयोगियों को नहीं दी गई।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177-2805015, 94180-15015 फैक्स: 2805015

सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के बावजूद डिस्ट्रिक जज धर्मशाला अब तक नही कर पाये मकलोड़गंज बस अड्डा प्रकरण की जांच

शिमला/शैल। इस बस अड्डा प्रकरण की जांच सर्वोच्च न्यायालय ने 16.5.2016 को जज धर्मशाला को सौंपी थी। सर्वोच्च न्यायालय ने यह जांच चार माह में पूरी करके रिपोर्ट सौपने के निर्देश दिय थे। सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार के परिवहन विभाग को भी निर्देश दिये थे कि वह इस प्रकरण से जुड़ा सारा रिकार्ड जज को तुरन्त प्रभाव से सौंपे और इस जांच में पूरा सहयोग करे। इन निर्देशों का पालन करते हुए जज को सारा रिकार्ड तुरन्त सौंप दिया गया था। लेकिन सूत्रों के मुताबिक जिला जज धर्मशाला अब तक इस प्रकरण की जांच पूरी करके सर्वोच्च न्यायालय को अपनी रिपोर्ट नही सौंप पाये हैं। ऐसे में यह चर्चा उठना स्वभाविक ही है कि जब न्यायिक अधिकारी ही सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों की अनुपालना न कर पाये तो फिर अन्य प्रशासन से क्या उम्मीद की जा सकती है। यह चर्चा एनजीटी द्वारा अभी हाल ही में प्रदेश भर में हुए अवैध निमार्णो के कारण पर्यावरण को पहुंचे नुकसान के संद्धर्भ में दिये गये फैसले से उठी है।

स्मरणीय है कि धर्मशाला के मकलोड़गंज में 2004 से बीओटी के तहत बन रहे बस स्टैण्ड और चार मंजिला होटल तथा शापिंग काम्लैक्स के निर्माण पर फिर अनिश्चितता की तलवार लटक गयी है। स्मरणीय है कि यह निर्माण वनभूमि पर हो रहा है जिसके लिये वन एवम् पर्यावरण अधिनियम के तहत वांच्छित अनुमतियां न लिये जाने के लिये सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित सीईसी के समक्ष एक अतुल भारद्वाज ने शिकायत डाली थी। इस शिकायत की जांच करके सीईसी ने अपनी रिपोर्ट 18 सितम्बर 2008 को सर्वोच्च न्यायालय में रखी थी। इस रिपोर्ट में पूरे निर्माण पर कानूनी प्रावधानों की गंभीर उल्लंघना के आरोप लगाते हुए सारै संवद्ध प्रशासनिक तन्त्र इसमें मिली भगत पायी गयी थी। इसमें प्रदेश सरकार पर एक करोड़ रूपये का जुर्माना भी लगाया गया था। सरकार के साथ ही निर्माण कार्य कर रही कंपनी मै. प्रंशाति सूर्य को ब्लैक लिस्ट करने और जुर्माना लगाने की संस्तुति की गयी थी।

सीईसी की इस रिपोर्ट को मै. प्रशांति सूर्य ने सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जिस पर मई 2016 में शीर्ष अदालत ने फैसला दिया। इस फैसले में मै. प्रशांति सूर्य को पर्यावरण संरक्षण के एनजीटी अधिनियम की धारा 15 और 17 के तहत 15 लाख का जुर्माना लगाया गया। यह जुर्माना प्रदेश के प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड में जमा करवाना होगा। इसी के साथ प्रदेश सरकार और पर्यटन विभाग तथा बस अड्डा प्रबन्धन एवम् विकास अथॉरिटी पर भी दस लाख का जुर्माना लगाया गया। हिमाचल सरकार पर पांच लाख और पर्यटन विभाग पर भी पांच लाख का अलग से जुर्माना लगा है। इसमें बन रहे होटल और रेस्तरां को भी दो सप्ताह के भीतर गिराये जाने के निर्देश दिये गये हैं। इसी के साथ प्रदेश के मुख्य सचिव को इस पूरे प्रकरण की जांच करके बस अड्डा प्राधिकरण के संबधित अधिकारियों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय करते हुए उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कारवाई करने के निर्देश सर्वोच्च न्यायालय ने पारित किये हैं।

सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले की बस अड्डा प्राधिकरण ने फिर अपील के माध्यम से चुनौति दी। इस अपील की सनुवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने इस संद्धर्भ में जो जांच प्रदेश के मुख्य सचिव को करने की जिम्मेदारी दी थी अब जांच जिला कांगड़ा के सत्र न्यायधीश को करने की जिम्मेदारी दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा है कि

We accordingly modify our order dated 16.05.2016 and direct the District Judge to hold an inquiry into the conduct of all officers responsible for the construction of the bus stand / hotel / accompanying complex and to submit a report to this Court as to the circumstances in which the alleged construction was erected and the role played by the officers associated with the same. The District Judge may appoint a suitable presenting officer to assist him in the matter. We further direct that the Government of Himachal Pradesh and the petitioner authority shall render all such assistance as may be required by the District Judge in connection with the inquiry and produce all such record and furnish all such information as may be requisitioned by him. Needless to say that the District Judge shall be free to take the assistance of or summon any official from the Government or outside for recording his / her statement if considered necessary for completion of the inquiry. The District Judge is also given liberty to seek any clarification or direction considered necessary in the matter. He shall make every endeavour to expedite the completion of the inquiry and as far as possible send his report before this Court within a period of four months from the date a copy of this order is received by him.

सैशन जज धर्मशाला ने इस जांच के संद्धर्भ में अभी तक अपनी रिपोर्ट सर्वोच्च न्यायालय को नहीं सौंपी है। माना जा रहा है कि इस प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय और सीईसी ने जिस विस्तार से इस मामले में हुई धांधलीयों को उजागर करते हुए सभी संबद्ध पक्षों को कड़ी फटकार और जुर्माना लगाया है उसे देखते हुए इसमें संलिप्त रहे सारे अधिकारियों की व्यक्तिगत जिम्मेदारीयां तय होना निश्चित माना जा रहा है। क्योंकि इसमें हुई अनियमितताओं का संज्ञान तो शीर्ष अदालत पहले ही ले चुकी है। अब इसमें केवल यह तय होना ही शेष है कि किस अधिकारी के स्तर पर क्या कोताही हुई है।

दोषी अधिकारियों के खिलाफ मुख्यसचिव कारवाई करें–एनजीटी

शिमला/शैल। कसौली अवैध निमार्ण के लिये जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कारवाई करने के लिये एनजीटी ने प्रदेश के मुख्यसचिव को निदेश दिये हैं।यह निर्देश Society for Preservation of Kasauli and its Environs V/s Bird's View Resort and Ors. में दिये हैं। इनमें प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड और टीसीपी विभाग के कुछ अधिकारियों को चिन्हित करके उनके खिलाफ कारवाई करने को कहा गया है। इसमें यह भी कहा गया है कि यदि कुछ सेवानिवृत्त हो चुके अधिकारी भी इसमें दोषी पाये जाते हैं तो उनके खिलाफ भी कारवाई अमल में लाई जाये।

यह है एनजीटी के निर्देश

where the Tribunal while direction demolition of unauthorised construction and held as under:

Since we have arrived at a clear finding that the officers of the HPPCB and the TCPD and even the Electricity Department have acted, if not in direct collusion with these Noticees, they have certainly failed to discharge their statutory and public duties appropriately. They have also failed to maintain the standards of performance expected from such officers. They, in fact, completely ignored the violations by the Noticees on both counts, environmental and town planning laws and took no effective action. We have even referred to the Court proceedings which clearly demonstrate the omissions and commissions of these officers which apparently are unbecoming of a public servant. Thus, we direct the Chief Secretary, State of Himachal Pradesh to take action against all the erring officers, particularly, Mr. Pravin Gupta, Senior Environmental Engineer, Anil Kumar, Junior Engineer and other officers of the HPPCB. One Ms. Leela Shyam, District Town Planner, Mr. Yavneshwar Singh Naryal, Junior Engineer and other officers of the concerned department and the erring officers of the Electricity Board as well. Appropriate action against such officers shall be initiated in accordance with law, within four weeks from the date of pronouncement of this judgment and status thereof be brought before the Tribunal.

We further direct the Chief Secretary of the State of Himachal Pradesh, not only to confine disciplinary action against the above officers/ officials but even all such other officers whether they are presently in service or not but who are found to be responsible for such omission and commission leading to these adverse environmental impacts." Furthermore, challenge to the notification issued by the State Government has been raised before the Himachal Pradesh High court in Writ Petition No. 1370 of 2005 where the State Gover nment has stated that it will not process any application for regularization of these structures till disposal of the writ petition.

There is constitutional duty upon every citizen to protect the environment and natural resources in terms of the article 51A(g) of the Constitution. There is also a statutory duty on the persons desirous or altering the status quo by raising construction in the ecosensitive areas to strictly adhere to and obey the laws of development under the Town and Country Planning Act, Municipal Laws and the Environmental Laws. The persons who have flagrantly violated the constitutional and statutory duties cannot be permitted to contend that they have invested monies and raised constructions which are environmentally and ecologically dangerous and are a heavy burden on the natural resources. They must face the consequences of their unsustainable activities in accordance with law, wherever the law requires the property or part thereof ought to be demolished. It is a matter of common knowledge that huge structures have been raised in the city of Shimla without complying with the environmental laws on one hand and by not providing for or taking any anti-pollution measures for prevention and control of pollution resulting from such residential or commercial activities.